

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएँ (बहु-ग्राहक) पॉलिसी - क्या करें

● कुल हानि सीमा:

कृपया नोट करें कि कुल हानि सीमा वह सीमा है जहाँ तक ईसीजीसी पॉलिसी के अंतर्गत दावे पर विचार करेगा।

सुनिश्चित करें कि पॉलिसी के अंतर्गत की कुल हानि सीमा आपके ग्राहक/ बैंक के बकाया राशि के समकक्ष हैं। ग्राहक/बैंक की पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकृत कारोबार मात्रा यदि बढ़ने की आकांक्षा हों और वही परियोजना के लिए अतिरिक्त संविदा होने की स्थिति में अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करें और हानि सीमा बढ़ाएँ।

● एकल हानि सीमा:

कृपया नोट करें कि एकल (खरीदार) हानि सीमा कुल हानि सीमा के 10% प्रतिशत हैं। यदि खरीदार के खाते पर कुल हानि सीमा के 10% प्रतिशत से अधिक हानि सीमा की आवश्यकता हों तो सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएँ (एकल ग्राहक) पॉलिसी प्राप्त करें।

● पॉलिसी की वैधता:

सुनिश्चित करें कि पॉलिसी दी गई सेवाओं को संरक्षित करने के लिए हमेशा वैध है।

● इकनेक्टिविटी:

पॉलिसीधारकों के लिए उपलब्ध ईसीजीसी के डेटाबेस से ऑनलाइन जुड़ने के लिए अपना ग्राहक आई डी व पासवर्ड प्राप्त करें

● अग्रिम प्रीमियम:

आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बीमा अधिनियम 1938 की शर्तों के अनुसार बीमाकृत जोखिम के प्रारंभ होने से पूर्व बीमाकर्ता को प्रीमियम प्राप्त होना चाहिए। ईसीजीसी अब इन प्रावधानों से बाध्य है कृपया सुनिश्चित करें कि रक्षा की वैधता के दौरान हर समय आप निम्नलिखित का अनुपालन करें: हानि सीमा पर तिमाही/वार्षिक आधार पर अग्रिम प्रीमियम भेजें।

● प्रतिबंधित रक्षा वाले देशों में खरीदार को प्रदान की जानेवाली सेवाओं को सुरक्षा:

प्रतिबंधित रक्षा वाले देशों में खरीदार को प्रदान की जानेवाली सेवाओं के सुरक्षा के लिए अलग से सुरक्षा प्राप्त करें।

● साख-पत्र खोलने वाले बैंकों के लिए सुरक्षा:

नवीनतम बैंकर्स अल्मैनक के अनुसार 25000 से अधिक विश्व रैंकिंग वाले साख-पत्र खोलने वाले बैंकों के लिए अलग से सुरक्षा प्राप्त करें।

● उन खरीदारों की सूची जिनका ईसीजीसी को प्रतिकूल अनुभव है:

पोतलदान करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि खरीदार का नाम उस सूची में नहीं है जिनका ईसीजीसी को प्रतिकूल अनुभव है और जो ईसीजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

● प्रगति रिपोर्ट:

30 दिनों से अधिक अतिदेय बीजकों के लिए प्रत्येक माह में ग्राहक को दी गई सॉफ्टवेयर परियोजना सेवाओं की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(क) माह के दौरान किए गए काम का रिपोर्ट रखना।

(ख) माह के शुरुआत में वर्धित बकाया बीजकों का किया गया भुगतान

(ग) माह के दौरान वर्धित बीजक, माह के दौरान प्राप्त भुगतान

(घ) माह के अंत में बकाया भुगतान

(च) काम जिसका बीजक बनना बाकी है

(छ) बीजक जो स्वीकारने शेष हैं।

● भुगतान शर्तों में विस्तार:

सुनिश्चित करें कि खरीदार को भुगतान शर्तों में विस्तार देने के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें, यदि ऐसे विस्तार द्वारा कुल भुगतान अवधि, पोतलदान की तारीख से 180 दिनों के भीतर ना रहें।

● हानि कम करना:

संविदा/करार के अनुसार दी गई सेवाओं के अंश/वर्धित बीजकों के लिए यह सुनिश्चित करें कि किसी पोतलदान का भुगतान न किए जाने की स्थिति में हानि को रोकने/कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। भुगतान करने के लिए ग्राहक को मनाएँ। ऋण वसूलीकर्ता एजेंट, खरीदार के देश में चेंबर ऑफ कॉमर्स, विदेशों में भारतीय दूतावास आदि की सहायता प्राप्त करें। खरीदार के देश में स्थित ऋण वसूली एजेंटों से सूची प्राप्त करने के लिए ईसीजीसी से संपर्क किया जा सकता है। खरीदार के देश के नोटरी द्वारा बिलों को नोट व प्रसाक्षित करवाएँ।

● दावा दाखिल करना:

हानि अभिनिश्चित होने के उपरांत देय तारीख से किसी भी समय परंतु एक वर्ष के भीतर अथवा संविदा के समाप्ति के तारीख से एक वर्ष के भीतर दोनों में से जो भी

उस समय पहले हों दावा दाखिल करें। यदि दावा दाखिल करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की जरूरत है तो दावा दाखिल करने में समय सीमा के विशिष्ट विस्तार हेतु इसका कारण बताते हुए ईसीजीसी से संपर्क करें।

● वसूली कार्रवाई:

विशेषज्ञ ऋण वसूली एजेंट/ वकील के द्वारा अथवा सीधे सभी वसूली के लिए कदम उठाएँ। कृपया खरीदार पर वसूली अधिकार बनाए रखें। समय पर की गई कार्रवाई से वसूली की संभावना बढ़ जाती है। यदि भुगतान न किए जाने का कारण, खरीदार का दिवालियापन है, कृपया आवश्यक जानकारी व दस्तावेजों के साथ सरकारी रिसीवर के पास अपना दावा दाखिल करें। कृपया सुनिश्चित करें कि दिवालिया की परिसंपत्ति पर दावा रिसीवर द्वारा स्वीकार किया गया है। ईसीजीसी के साथ वसूली की हिस्सेदारी उसी अनुपात में करना जिसमें ईसीजीसी द्वारा दावे का निपटान किया गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएँ (बहु-ग्राहक) पॉलिसी - क्या न करें

- ईसीजीसी के डेटाबेस से जुड़ने के लिए ग्राहक आई डी व पासवर्ड लेना न भूलें।
- पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित तारीख के भीतर तिमाही प्रीमियम की किस्तें भेजना न भूलें।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना न भूलें।
- सभी विदेशी खरीदारों पर बढ़ी हुई कुल हानि सीमा प्राप्त करना न भूलें।
- सेवा प्रदान करते समय, ईसीजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध ईसीजीसी के प्रतिकूल अनुभव वाले खरीदारों की सूची की जाँच करना न भूलें और ऐसे खरीदारों को पोतलदान न करें।
- प्रतिबंधित रक्षा वाले देशों में स्थित खरीदारों को दी जानेवाली सेवाओं के लिए अलग से सुरक्षा लेना न भूलें।
- देय तिथि में 180 दिनों से अधिक विस्तार प्राप्त करने के लिए ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन लेना न भूलें।
- भुगतान प्राप्त न होने पर खरीदार के देश में बिल को नोट व प्रसाक्षित करना न भूलें जहाँ ऐसा संभव न हों।
- ईसीजीसी द्वारा सूचित किए जाने पर वसूली हेतु ऋण एजेंट की नियुक्ति करना न भूलें।

- ग्राहक अतिदेय बीजकों का भुगतान नहीं करता तब तक आगे कोई संविदा अथवा सेवा प्रदान न करें।
- दावा फार्म के साथ ईसीजीसी को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करना न भूलें। यदि कोई संदेह हो, स्पष्टिकरण के लिए ईसीजीसी से बेहिचक संपर्क करें।
- यदि आवश्यकता हों तो लेखा पुस्तकें परीक्षण के लिए ईसीजीसी को सहयोग देना न भूलें।
- अनुमत समय के भीतर दावा दाखिल करना न भूलें।
- खरीदार के विरुद्ध वसूली कार्रवाई करना व वसूली होने पर ईसीजीसी के साथ वसूली की हिस्सेदारी करना न भूलें।



IT-ENABLED SERVICES (MULTI –CUSTOMER) POLICY-DO'S

● AGGREGATE LOSS LIMIT (ALL):

Please note Aggregate Loss Limit is the limit up to which ECGC would consider total claims under the policy.

Ensure that the Aggregate Loss Limit under the policy is equivalent to the amount outstanding from the customer / bank. Seek enhancement of the Loss Limit in case the volume of business on the customer/bank insured under the policy is expected to increase in the form of additional contracts to be serviced and pay the additional premium.

● SINGLE LOSS LIMIT (SLL):

Single (Buyer) Loss Limit is 10% of Aggregate Loss Limit. Seek IT- Enabled Services (Single Customer) Policy in case a loss limit of more than 10% of the Aggregate Loss Limit on account of a buyer is required.

● VALIDITY OF POLICY:

Ensure policy is valid to covers the services rendered always.

● E-CONNECTIVITY:

Obtain Customer ID and Password for on-line access to ECGC's database available for a policy holder.

● ADVANCE PREMIUM:

It is important for you to know that in terms of the Insurance Act 1938 an insurer should receive the premium before the commencement of risks insured. ECGC is now bound by these provisions please ensure that you comply with the following at all times during the validity of the cover

Remit advance premium on the loss limit either quarterly/annually.

● COVER FOR SERVICES TO BUYERS IN RESTRICTED COVER COUNTRIES:

Seek cover for services rendered to buyers in Restricted Cover countries.

● COVER FOR LC OPENING BANK:

Seek cover separately for the Letters of Credit opened by banks with a World Rank of more than 25000 as per latest Bankers Almanac.

● LIST OF BUYERS ON WHOM ECGC HAS HAD ADVERSE EXPERIENCE:

Ensure before rendering services that the customer's name is not appearing on list of buyers on whom ECGC has had adverse experience which is available on its website.

● PROGRESS REPORT

Submit the monthly progress report of the software services provided to the customer during each month for invoices which remain overdue beyond 30 days:

- a. mentioning the work done during the month
- b. payment for invoices raised outstanding at the beginning of the month
- c. invoices raised during the month, payments received during the month
- d. payments outstanding at the end of the month
- e. work yet to be invoiced and
- f. invoices which remain to be accepted,

● EXTENSION IN PAYMENT TERMS:

Ensure to take prior approval for granting extension in payment terms to the buyer, unless the total payment period by such extension remains within 180 days of the date of invoice.

● LOSS MINIMISATION:

Ensure prompt action in event of non receipt of payment up to certain reasonable time, as per the contract/agreement, for the part of services already rendered /invoices raised, take suitable action to prevent/minimize the loss. Persuade the customer to make the payment. Seek the assistance of Debt Collection Agents, Chambers of Commerce and Indian Trade Representatives abroad. ECGC could be contacted for the purpose of obtaining a list of Debt Collection Agents in buyer's

country. Get the bill noted and protested through a Notary in the buyer's country.

● **LODGEMENT OF CLAIM:**

File the claim any time after the ascertainment of loss but within one year from the due date of payment or within one year from the date of completion/termination of the contract whichever of the two is earlier in point of time. If further time is required for filing the claim, please approach ECGC for specific extension in time for the claim along with the reasons thereof.

● **RECOVERY ACTION:**

To pursue all recovery steps, directly or through a specialized Debt Collection Agent / Lawyer. Please maintain recourse against the buyer. Timely action ensures better recovery prospects. If non-payment is due to insolvency of the buyer please file the claim with the official receiver with necessary information and documents. Please ensure that the claim is acknowledged by the receiver of the insolvent's estate. In the event of recovery share the recovery with ECGC in the same ratio in which the claim has been settled by ECGC.

**IT-ENABLED SERVICES (MULTI-CUSTOMER)
POLICY – DON'TS**

- Do not fail to obtain Customer ID and Password for access to the database of ECGC.
- Do not fail to remit the quarterly installments of premium within the dates prescribed under the policy.
- Do not fail to submit monthly progress report.
- Do not fail to obtain enhanced Aggregate Loss Limit to cover all the overseas buyers.
- Do not fail to check the list of buyers on whom ECGC has had adverse experience at the time of rendering services which is available on the web-site of ECGC.
- Do not fail to seek cover separately for services to be rendered to buyers located in Restricted Cover countries.
- Do not fail to obtain prior approval of ECGC for extension in payment terms beyond 180 days.

- Do not fail to get the bill noted and protested for non payment in the buyer's country where this is not possible.
- Do not fail to engage a Debt Collection Agent for recovery where it is advised by ECGC.
- Do not enter into further contract or rendering any services unless customer makes the payment for the overdue invoices.
- Do not fail to submit the documents as desired by ECGC along with the claim form. When in doubt do not hesitate to contact ECGC for clarifications.
- Do not fail to co-operate with ECGC with regard to examining the books of account, if found necessary.
- Do not fail to file the claim within the time allowed.
- Do not fail to initiate recovery action against the buyer and remit to ECGC amounts so recovered.

